

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 1183/2024

अनवान : -

1. कविता देवी पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी मोहनबाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

- वादीया

बनाम्

1. सुनिता देवी पत्नी विजेन्द्र जाति जाट निवासी मोहनबाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
2. कृष्णा देवी पत्नी कुम्भाराम जाति जाट निवासी मोहनबाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-53, राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादीया  
पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 16/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 80/69 के कुल खसरे 32 की कुल तादादी 7.6920 है0 भूमि में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि वादीया व प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की भूमि है। भूमि मुश्तरका होने के कारण से वादीया व प्रतिवादीगण में खाता, सीव व लगान से सम्बन्धित हमेशा तनाजात बना रहता है तथा लड़ाई झगड़ा बना रहता है जिस कारण से वादीया मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग करवाकर अलग से खाता तकसीम करवाना चाहती है। वादीया व प्रतिवादीगण ने समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 80/69 के कुल खसरे 32 की कुल तादादी 7.6920 है0 भूमि में से प0 नं0 97/31 (660) के किला नं. 11/1 के मिन पूर्व की 0.078 है0, 12/1 की 0.051 है0, 17 ता 19 की 0.759 है0, 20 के मिन पूर्व की 0.078 है0, 21/2 के मिन पूर्व की 0.078 है0, 22/2 की 0.228 है0, 23/2 की 0.228 है0, 24/2 की 0.227 है0 प0 नं0 97/32 (723) किला नं. 1 के मिन पूर्व की 0.078 है0, 2 ता 4 की 0.759 है0 कुल किता 14 का कुल रकबा 2.564 है0 भूमि पर वादीया काबिज है एवं प0 नं0 97/31 (660) के किला नं. 11 के मिन पश्चिम की 0.175 है0, 20 के मिन पश्चिम की 0.175 है0, 21/2 के मिन पश्चिम की 0.150 है0 प0 नं0 97/32 (723) के किला नं. 1 के मिन पश्चिम की 0.175 है0 प0 नं0 97/24 (724) के किला नं. 4 के मिन पूर्व की 0.175 है0, 5 की

0.253 है, 6 की 0.253 है, 7 के मिन पूर्व की 0.130 है प 0 नं 97/23 (659) के किला नं. 14 के मिन पूर्व की 0.130 है, 15 की 0.253 है, 16 की 0.253 है, 17 के मिन पूर्व 0.130 है, 24/1 के मिन पूर्व की 0.130 है, 25 /1 की 0.227 है कुल किता 14 का कुल रकबा 2.564 है भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 1 काबिज है एवं प 0 नं 97/23 (659) के किला नं. 14 के मिन पश्चिम की 0.123 है, 17 के मिन पश्चिम की 0.123 है, 18 की 0.253 है, 19 की 0.253 है, 22/1 की 0.228 है, 23/1 की 0.228 है, 24/1 के मिन पश्चिम की 0.098 है, 11 ता 13 की 0.759 है प 0 नं 97/24 (724) के किला नं. 3 की 0.253 है, 4 के मिन पश्चिम की 0.123 है, 7 के मिन पश्चिम की 0.123 है कुल किला 13 का कुल रकबा 2.564 है भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 2 काबिज है वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर खाता व लगान अलग-अलग तकसीम करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि मुताबिक बाहमी राजीनामा वाद भूमि का खाता व लगान अलग दर्ज करवा लेवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं 0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा बिरकाली बारानी सम्वत 2074-77 खाता सं 80/69 पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त कृषि भूमि वादीया व प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की भूमि है। भूमि मुश्तरका होने के कारण से वादीया व प्रतिवादीगण में खाता, सीव व लगान से सम्बन्धित हमेशा तनाजात बना रहता है तथा लड़ाई झगड़ा बना रहता है जिस कारण से वादीया मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग करवाकर अलग से खाता तकसीम करवाना चाहती है। वादीया व प्रतिवादीगण ने समझौता किया हुआ है एवं मुताबिक समझौता ही वादीया व

प्रतिवादीगण काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति/खता विभाजन का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 80/69 के कुल खसरे 32 की कुल तादादी 7.6920 है० भूमि में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि बाबत हम पक्षकारान का उपरोक्तानुसार राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा ही वादी व प्रतिवादीगण काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 80/69 के कुल खसरे 32 की कुल तादादी 7.6920 है० भूमि में से प० नं० 97/31 (660) के किला नं. 11/1 के मिन पूर्व की 0.078 है०, 12/1 की 0.051 है०, 17 ता 19 की 0.759 है०, 20 के मिन पूर्व की 0.078 है०, 21/2 के मिन पूर्व की 0.078 है०, 22/2 की 0.228 है०, 23/2 की 0.228 है०, 24/2 की 0.227 है० प० नं० 97/32 (723) किला नं. 1 के मिन पूर्व की 0.078 है०, 2 ता 4 की 0.759 है० कुल किता 14 का कुल रकबा 2.564 है० भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प० नं० 97/31 (660) के किला नं. 11 के मिन पश्चिम की 0.175 है०, 20 के मिन पश्चिम की 0.175 है०, 21/2 के मिन पश्चिम की 0.150 है० प० नं० 97/32 (723) के किला नं. 1 के मिन पश्चिम की 0.175 है० प० नं० 97/24 (724) के किला नं. 4 के मिन पूर्व की 0.130 है०, 5 की 0.253 है, 6 की 0.253 है०, 7 के मिन पूर्व की 0.130 है० प० नं० 97/23 (659) के किला नं. 14 के मिन पूर्व की 0.130 है०, 15 की 0.253 है०, 16 की 0.253 है०, 17 के मिन पूर्व 0.130 है०, 24/1 के मिन पूर्व की 0.130 है०, 25 /1 की 0.227 है० कुल किता 14 का कुल रकबा 2.564 है० भूमि का प्रतिवादीया संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प० नं० 97/23 (659) के किला नं. 14 के मिन पश्चिम की 0.123 है०, 17 के मिन पश्चिम की 0.123 है०, 18 की 0.253 है०, 19 की 0.253 है०, 22/1 की

अ  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

0.228 है०, 23/1 की 0.228 है०, 24/1 के मिन पश्चिम की 0.098 है०, 11 ता 13 की 0.759 है० प० नं० 97/24 (724) के किला नं. 3 की 0.253 है०, 4 के मिन पश्चिम की 0.123 है०, 7 के मिन पश्चिम की 0.123 है० कुल किला 13 का कुल रकबा 2.564 है० भूमि का प्रतिवादीया संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 1183/2024

अनवान : -

1. कविता देवी पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी मोहनबाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

- वादीया

बनाम्

1. सुनिता देवी पत्नी विजेन्द्र जाति जाट निवासी मोहनबाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
2. कृष्णा देवी पत्नी कुम्भाराम जाति जाट निवासी मोहनबाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1183 सन 2024 निर्णय दिनांक 14/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 80/69 के कुल खसरे 32 की कुल तादादी 7.6920 है० भूमि में से प० नं० 97/31 (660) के किला नं. 11/1 के मिन पूर्व की 0.078 है०, 12/1 की 0.051 है०, 17 ता 19 की 0.759 है०, 20 के मिन पूर्व की 0.078 है०, 21/2 के मिन पूर्व की 0.078 है०, 22/2 की 0.228 है०, 23/2 की 0.228 है०, 24/2 की 0.227 है० प० नं० 97/32 (723) किला नं. 1 के मिन पूर्व की 0.078 है०, 2 ता 4 की 0.759 है० कुल किता 14 का कुल रकबा 2.564 है० भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प० नं० 97/31 (660) के किला नं. 11 के मिन पश्चिम की 0.175 है०, 20 के मिन पश्चिम की 0.175 है०, 21/2 के मिन पश्चिम की 0.150 है० प० नं० 97/32 (723) के किला नं. 1 के मिन पश्चिम की 0.175 है० प० नं० 97/24 (724) के किला नं. 4 के मिन पूर्व की 0.130 है०, 5 की 0.253 है०, 6 की 0.253 है०, 7 के मिन पूर्व की 0.130 है० प० नं० 97/23 (659) के किला नं. 14 के मिन पूर्व की 0.130 है०, 15 की 0.253 है०, 16 की 0.253 है०, 17 के मिन पूर्व 0.130 है०, 24/1 के मिन पूर्व की 0.130 है०, 25 /1 की 0.227 है० कुल किता 14 का कुल रकबा 2.564 है० भूमि का प्रतिवादीया संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प० नं० 97/23 (659) के किला नं. 14 के मिन पश्चिम की 0.123 है०, 17 के मिन पश्चिम की 0.123 है०, 18 की 0.253 है०, 19 की 0.253 है०, 22/1 की 0.228 है०, 23/1 की 0.228 है०, 24/1 के मिन पश्चिम की 0.098 है०, 11 ता 13 की 0.759 है० प० नं० 97/24 (724) के किला नं. 3 की 0.253 है०, 4 के मिन पश्चिम की 0.123 है०, 7 के मिन पश्चिम की 0.123 है० कुल किला 13 का कुल रकबा 2.564 है० भूमि का प्रतिवादीया संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

*al*  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर